सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 16, गुरूवार, शाके 1943-जनवरी 06, 2022

Pausa 16, Thursday , Saka 1943- January 06, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2021

संख्या प.1(47)श्रनि/79 पार्ट :-राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1(47)श्रनि/79/पार्ट दिनांक 23.12.2021 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 मे उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम स. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायालय हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकरण एवं न्यायालय का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्री सत्य नारायण व्यास, जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर

राज्यपाल के आदेश से,

परमेश्वर लाल,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।